रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3095] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 2017/कार्तिक 15, 1939
No. 3095] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2017/KARTIKA 15, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2017

का.आ. 3530(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व की ओर जम्मू से 75 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। यह जम्मू-कश्मीर राज्य में कठुआ जिले की उत्तरी दिशा में अवस्थित 10.04 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 32^{0}27' से 32^{0}31' उत्तरी अक्षांश और 75^{0}22' से 75^{0}26' पूर्वी देशांतर के बीच आता है । अभयारण्य पूर्व में उज्जह नदी और पश्चिम में लोडोवाली खड़ के बीच स्थित है। जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएं निम्नानुसार हैं:

उत्तर : गुरा सुरजा, फोरलियन और लोडोला ग्राम

दक्षिण : जसरोटा, डलोटी और माला ग्राम

पूर्व : उज्जह् नदी

पश्चिम : लोडोवाली खड़

और, वनस्पति और प्राणीजात इस अभयारण्य के विपुल जैविक महत्व के द्योतक हैं। चैंपियन और सेट द्वारा पुनरीक्षित वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य की वनस्पति मुख्य समूह "उपोष्णीय उत्तरी मिश्रित शुष्क पतझड़ी वन" के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में उपोष्णीय चौड़े पत्तेदार वृक्ष और झाड़ियों की पर्याप्त विविधता पाई जाती है। अभयारण्य का एक विशाल क्षेत्र झाड़ियों से और अपतीर्ण से वहां वहां आच्छादित है जहां जहां बांस के कुछ शुद्ध पैवंद स्थानों पर भी पाए जाते हैं। चौड़े पत्तेदार वनों में पर्णपाती प्रजातियां हैं;

और, यह क्षेत्र उप-उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के जीव जंतुओं और पक्षी जीव का समुदाय है। जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण वनस्पति जैसे बम्बो *(देंद्रोकलामुस स्टीकटुस)*, शीशम (*डाल्बेरगिया सीस्सो)*, सीमुल (*बोमबक्स केइबा)*, पीपल *(फीकुस रेलीगोओसा)*,बरगद *(फिकुस बेंगालेंसीस)*, अमाल्टस (*कस्सीय,फिसतुला)*, पलास *(बुटेअ मोनोर्स्पमा)*, मैंगो *(मैंगीफेरा इंडिका)*, बील *(अगले मारमेलोस)*,कम्बाल *(लन्नेइय ग्रांडिस)*, अमला (*इम्बलिका ओफ्फिकिनालीस)*, कंछार (*बयहीनाय वरीअगाटा)*, बेर (*जिजिफुस जुजुबा)*, सीरीस (*अल्बिजिया लब्बेक)*, बंकेर (*अधोटोडा वसीका)*, गराना (*करीस्सा ओपका)*, चयंथा (*दोदोनीया वीस्कोसा) आदि* अभिलिखित की गई हैं;

और, जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण जीवजंतु जैसे नीलगाय *(बोसेलाफुस टरांगोकमेलुस)*, चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), रेहसूस बंदर (*मोकाका मुलाटाअ)*, रीछ *(मेलर्सस अरसिनस)*, खरगोश (लेपुस नीगरीकोल्लीस*)*, साही (हायस्क्सि इंडिका*)*, बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), नेवला (हेरपेस्टेस *इंडक्अरदीस)*, मोर (*पवो करीसतुस)*, लाल जंगली मुर्गा (*गल्लुस गल्लुस)*, बुश क्वाई *(परेडीकुलाटा असीअटीका)*, हरा कबूतर (*तररोन फोइनीक्स कोपटेरा)*, ब्लू रॉक कबूतर (*कोल्यमबा लीवीय)*, लाल कछुए कबूतर (*स्टेपटोपेलीअ टरांक्युइबरीका)*, ब्लू जे *(कोराकीय सबेंघाल्ल्स*), ब्लैक पार्टिड्र्स *(फरांकोलीनुस फरांकोलीनुस)*, स्पोटेड उल्लू *(अट्रेना बरामा)*, तोता *(पसीट्टाकोला कयबनोकेफला)*, होपे (उपुपेअ पोपस), बुलबुल *(फयकनोनोटुस जाति), परीअ काइट (मील्वअस मीगरांस)*, कोइल *(इयडयनामयस्स कोलोपेकेय)*, कठफोड़वा पीकोइदेस नमुस*)*, बब्लेरस *(टअरदोइदे स्कायदातुस)*, आदि अभिलिखित किए गए हैं। जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण जलपक्षी जैसे माल्लारड (अनास पलाटयंचोस) पीन तालइल (अनास अक्यूटा*)*, गढवाल (अनास स्टेपेरा*)*, *सामान्य* टील *(अनास कराका)*, विजियन *(अनास पेनलोपे), सामान्य पोर्चार्ड (अनास फरिना)* आदि अभिलिखित किए गए हैं

और, उपोष्णीय जलवायु के क्षेत्र में प्राणिजात और पक्षी प्राणिजात की व्यापक प्रजाति इस क्षेत्र में विद्यमान है। सरीसृपों की पर्याप्त प्रजातियों के अतिरिक्त, अभयारण्य में पाए जाने वाले मुख्य जंतु और पक्षी, नीलगाय, धारीदार हिरण, बंदर, सियार, खरगोश, साही, बनेला सूअर, नेवला, मटरमुर्गा, लाल जंगल मुर्ग, बुश क्वील, कबूतर, लाल कछुआ, बुलबुल, कोयल, कठफोड़वा, मालाड़, पिन टस्ल, सामान्य टील, विज़न आदि हैं;

और, जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य में जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 से 2022 मीटर तक विस्तारित क्षेत्र को जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य (अधिसूचना में उपाबद्ध मानचित्र को दर्शाया गया), पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा 0 से 2022 मीटर तक के बीच है।

(2) जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध I** दिया गया है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र के साथ सीमा का विवरण और अक्षांश तथा देशांतर **उपाबंध II क और उपाबंध IIख** के रुप में संलग्न हैं।

(4) जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांको को **उपाबंध III** में दिया गया हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले पांच ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रुप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सरोकारों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी,:--

पर्यावरण ;

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतरी की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(7) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा

(8) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के किए पारिस्थितिकी- अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी संबधी अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का वाणिज्य और उद्योग संबंधी विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु, निगरानी समिति की सिफारिश पर स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि के संपरिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का निर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा 4 में वर्णित क्रियाकलाप ;

परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्र में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के जल आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा इस रीति से जल आवाह प्रबंधन योजना बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) पारिस्थितिकी पर्यटन – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना का भाग होगें ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, राजस्व और वन विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से पर्यटन विभाग, राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते

हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर किसी नये होटल, रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर, उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की उपयुक्त योजना बनायी जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हे आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) गैर-जैविक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(iii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट-** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(12) **वाहन-प्रदूषण:-** वाहन-प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएगे ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(14) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय- समय पर संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी,

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमे कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध अथवा विनियमित या प्रोत्साहित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शासित होंगे तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

4.	प्रदूषण जल और वायु और मृदा और ध्वनि और आदि) करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी।
5.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नही होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी :- परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
11.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
12.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का

		निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
17.	गर्म वायु गुब्बारें, राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर से उड़ना जैसे पर्यटन संबद्ध अन्य क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	प्लास्टिक के बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
20.	विद्युत और संचार टॉवर लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	जैव नष्ट वान सामग्री का पुन: निर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	बिजली लाइनों की स्थापना	बिजली लाइनों की स्थापना
23.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
24.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापन अपनी परिसंपत्तियों में काटेदार से बाड नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी। कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।
25.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
29.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	ट्रेकिंग और कैपिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
31.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए जब तक 1 से 10 मीटर के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा।
32.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
33.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
34.	प्रकृति आरक्षित समुदाय।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
संवर्धित क्रियाकलाप		
35.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि,	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।

	बागवानी और अन्य वानिकी क्रियाकलाप।	
36.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
41.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, प्रभावी निगरानी के लिए, इस अधिसूचना के जारी होने के तीन माह के भीतर, एक निगरानी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:-

1.	जिला कलेक्टर	- अध्यक्ष;
2.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ जिसे जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	–सदस्य;
3.	गैर-सरकारी संगठनों (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) का एक प्रतिनिधि, जिसे सरकार द्वारा तीन वर्षो की अवधि के लिए नामित किया जायेगा	–सदस्य;
4.	क्षेत्रीय अधिकारी, जम्मू कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–सदस्य;
5.	आवास और शहरी नियोजन विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
6.	पारिस्थितिकीय विशेषज्ञ	–सदस्य;
7.	राज्य के जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	–सदस्य;
8.	कृषि उत्पादन विभाग के प्रतिनिधि	–सदस्य;
9.	संबंधित संभागीय वन अधिकारी, प्रादेशिक	सदस्य सचिव।

6.विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का गठन किए जाने तक होगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय: इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. सुप्रीम कोर्ट आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/203/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

क. जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

क्र. सं.	अभयारण्य की दिशा सीमाएं	बिंदु	अभयारण्य सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मीटर में दूरी	भू-निर्देशांक		टीका-टिप्पणी
				अक्षांश	देशांतर	
1.	उत्तर	ए1	अधिकतम दूरी = 2022 मीटर	32°30'45" उ	75°24'14.1" पू	
		एन1	न्यूनतम दूरी = 700 मीटर	32°30'622" उ	75°23'608" पू	
2.	उत्ता-पूर्व	बी1	अधिकतम दूरी =400 मीटर	32°9'52.1" उ	75°25'7.8" पू	
		सी1	न्यूनतम दूरी =00 मीटर	32°9'43.2" उ	75°25'2.9" पू	
3.	पूर्व	डी1	अधिकतम दूरी =00 मीटर	32°28'46.3" उ	75°24'50.1" पू	यह क्षेत्र पिछले कई पीढ़ियों से स्थायी निवास स्थान के अंतर्गत है और इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन में क्षेत्र नियमित कृषि और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों
			न्यूनतम दूरी =00 मीटर			
4.	दक्षिण-पूर्व	ई1	न्यूनतम दूरी = 00 मीटर	32°27'55" उ	75°24'34.2" पू	
			अधिकतम दूरी =00 मीटर			

5.	दक्षिण	एफ1	अधिकतम दूरी =00 मीटर	32°27'921" उ	75°24'164" पू	में बाधा डाल सकता है जिससे स्थानीय लोगों के आजीविका के साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
		जी1	न्यूनतम दूरी =473 मीटर	32°27'48.6" उ	75°24'04.6" पू	
6.	दक्षिण-पश्चिम	एच1	न्यूनतम दूरी =377 मीटर	32°29'0.8" उ	75°21'58.4" पू	
		आई1	अधिकतम दूरी =1197 mts	32°29'06.4" उ	75°21'36.4" पू	
7.	पश्चिम	जे1	अधिकतम दूरी =1662 मीटर	32°29'793" उ	75°21'792" पू	
		के1	न्यूनतम दूरी =1531 मीटर	32°30'099" उ	75°22'069" पू	
8.	उत्तर-पश्चिम	एल1	अधिकतम दूरी =1398 मीटर	32°0'38.3" उ	75°22'34.2" पू	
		एम1	न्यूनतम दूरी =608 मीटर	32°30'588" उ	75°23'422" पू	

उपाबंध- II-क

भारत के सर्वेक्षण (एसओआई) के मुख्य स्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

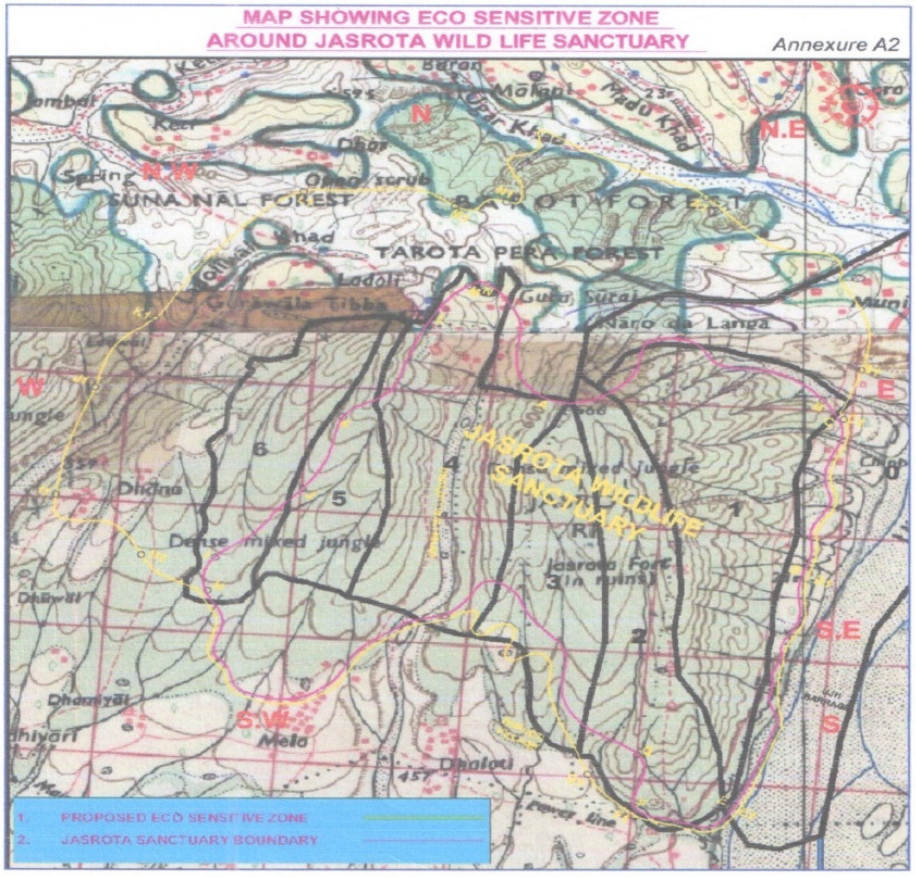

उपाबंध- II-ख

ख. जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य को दर्शाने वाला पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

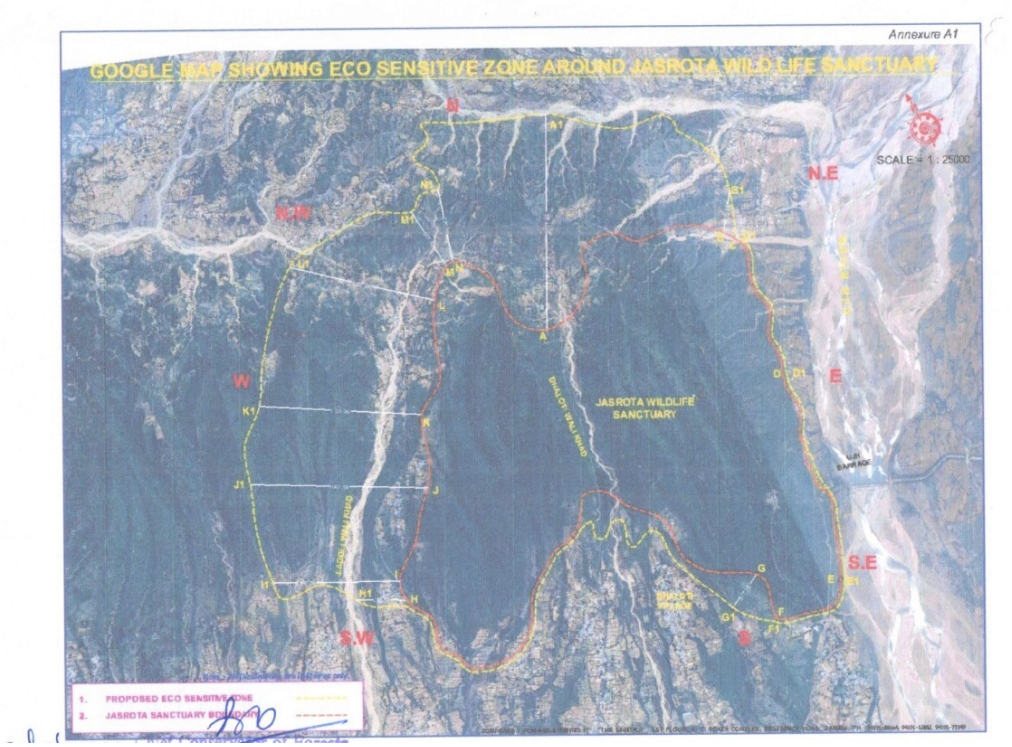

उपाबंध-III **क**

जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

क्र.सं.	बिन्दु	दिशा	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1.	ए	उत्तर	32⁰29'48.3'' उ	75⁰23'48.5'' पू
2.	बी	उत्तर-पूर्व	32⁰29'46.1'' उ	75⁰24'58'' पू
3.	सी	उत्तर-पूर्व	32⁰29'42.6'' उ	75⁰25'00.7'' पू
4.	डी	पूर्व	32⁰28'46.3'' उ	75⁰24'50.1'' पू
5.	ई	दक्षिण- पूर्व	32⁰27'55'' उ	75⁰24'34.2'' पू
6.	एफ	दक्षिण	32⁰27'921'' उ	75⁰24'164'' पू
7.	जी	दक्षिण	32⁰27'59'' उ	75⁰24'12.3'' पू
8.	एच	दक्षिण-पश्चिम	32⁰28'938'' उ	75⁰22'15.6'' पू
9.	आई	दक्षिण-पश्चिम	32⁰29'016'' उ	75⁰22'281'' पू
10.	जे	पश्चिम	32⁰29'355'' उ	75⁰22'281'' पू
11.	के	पश्चिम	32⁰29'678'' उ	75⁰22'87.9'' पू
12.	एल	उत्तर-पश्चिम	32⁰30'136'' उ	75⁰23'266'' पू
13.	एम	उत्तर –पश्चिम	32⁰30'588'' उ	75⁰23'21.6'' पू
14.	एन	उत्तर	32⁰30'265'' उ	75⁰23'457'' पू

ख. जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

क्र.सं	अभयारण्य की दिशा सीमाएं	बिंदु	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	उत्तर	ए1	32 ° 30'45"उ	75°24'14.1"पू
		एन1	32°30'622"उ	75° 23'608" पू
2	उत्तर-पूर्व	बी1	32° 9'52.1"उ	75° 25'7.8" पू
		सी1	32° 9'43.2"उ	75°25'2.9" पू
4	पूर्व	डी1	32°28'46.3"उ	75°24'50.1" पू
5	दक्षिण-पूर्व	ई1	32° 27'55"उ	75°24'34.2" पू
6	दक्षिण	एफ1	32° 27'921"उ	75°24'164" पू
		जी1	32°27'48.6"उ	75°24'04.6" पू
7	दक्षिण-पश्चिम	एच1	32° 29'0.8"उ	75°21'58.4" पू
		आई1	32°29'06.4"उ	75°21'36.4" पू
	पश्चिम	जे1	32° 29'793"उ	75° 21'792" पू
		के1	32° 30'099"उ	75° 22'069" पू
9	उत्तर -पश्चिम	एल1	32° 0'38.3"उ	75°22'34.2" पू
		एम1	32° 30'588"उ	75° 23'422" पू

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	दनोह	32°29.377'उ	75°22.511'पू
2	लदोली	32°29.896'उ	75°22.767'पू
3	गुरहा सुरजा	32°29.809'उ	75°23.813'पू
4	मोनी	32°30.196'उ	75°25.364'पू

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2017

S.O. 3530(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Jasrota Wildlife Sanctuary is located at a distance of 75 Km from Jammu towards East of National highway. It is on the Northern side of Kathua District in the State of Jammu and Kashmir covers an area of 10.04 square kilometres and falls between $32^0$27' to $32^0$31' North Latitude and $75^0$22' to $75^0$26' East Longitude. The sanctuary is located between river Ujh in the East and Lodowali khad in the West. The boundaries of the Jasrota Wildlife Sanctuary are as under:

North: Gura Surja, Forlian and Lodola villages

South: Jasrota, Daloti and Mala villages

East: Ujh river

West: Lodowali khad

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary. The vegetation of the sanctuary comes under the major group "Sub tropical Northern Mixed Dry Deciduous Forests". A wide variety of sub-tropical broad leaved tree and shrubs are found in the area. Large area of the sanctuary is covered with shrubs and weeds where as some pure patches of bamboo are also found at places. The broad-leaved forest consists of deciduous species;

AND WHEREAS, the area hosts a wide variety of fauna and avifauna typical to the area of sub-tropical climate. Important flora reported from the Jasrota Wildlife Sanctaury are, Bamboo (*Dendrocalamus strictus)*, Shisham (*Dalbergia sissoo)*, Simul (*Bombax ceiba),* Pipal *(Ficus religiosa)*, Bargad (*Ficus bengalensis)*, Amaltas (*Cassia, fistula)*,

Palas (*Butea monosprema)*, Mango (*Mangifera indica)*, Bil (*Agele marmelos),* Kambal (*Lannea grandis)*, Amla (*Emblica officinalis),* Kanchar (*Bauhinia variegate)*, Ber (*Zizphu sjujuba)*, Sirris (*Albizzia lebbek),* Banker (*Adhotoda vasica),* Garana (*Carissa opaca)*, Cyntha (*Dodonea viscosa)* etc.

AND WHEREAS, important fauan/avifauna reported from the Jasrota Wildlife Sanctaury are Nilgai (*Boselaphus trangocamelus)*, Spotted deer (*Axis axis),* Barking deer (*Muntiacus muntejak)*, Rhesus monkey (*Mocaca Mulatta),* Jackal (*Canis aureus),* Hare (*Lepus nigricollis)*, Porcupine (*Hystrix Indica)*, Wild boar (*Sus scrofa)*, Mongoose (*Herpestes edxardis)*, Pea fowl (*Pavo cristatus)*, Red Jungle fowl (*Gallus gallus),* Bush Quail (*Prediculata asiatica)*, Green Pigeon (*Treron phoenix coptera)*, Blue Rock Pigeon (*Columba livia)*, Red Turtle Dove (*Streptopelia tranquebarica),* Blue Jay (*Coracia sbenghalinus)*, Black Partirdes (*Francolinus francolinus)*, Spotted Owlet (*Attene brama),* Parakeets (*Psittacula cyanocephala)*, Hoope *(Upupae pops)*, Bulbul (*Phycnonotus species),* Pariah *kite (Milvus migrans)*, Koel (*Eudynamyss colopacea)*, Wood pecker *Picoides namus)*, Bablers (*Turdoide scaudatus)* etc. Important water fowl reported from the Jasrota Wildlife Sanctuary are Mallarad (*Anas Platyrhnchos)*, Pin Tail (*Anas acuta)*, Gadwal (*Anas Stepera), Common Teal (Anas creca),* Wigeon *(Anas Penelope),* Common Pochard *(Anas farina)* etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area surrounding the protected area of Jasrota Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area between zero to 2022 meters from the boundary of the protected area of Jasrota Wild Life Sanctuary in the State of Jammu & Kashmir (as shown in the map annexed to the notification), as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), namely.

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) Eco-sensitive Zone is between zero to 2022 meters from the boundary of the protected area.

(2) The boundary description of Jasrota Wildlife Sanctuary is given in **Annexure-I.** (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A and Annexure-II B**

(4) The Geo-coordinates of Jasorota Widlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-III.**

(5) The list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal ;
(x) Panchayati Raj ; and
(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of the final notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of the final notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities :

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the to meet the residential needs of the local residents, and for activity such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism -** (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Jasrota Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the

Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of final notification in the official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification in the official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986;

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder;

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the water (Prevention control of pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;
(ii) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:-

(i) the Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time;
(ii) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco- sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular pollution:** -Prevention and control of vehicular pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with applicable laws and effort shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(13) **Plastic waste management:-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.-

(14) Construction and demolition waste management:- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste-The E-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) Industrial units.- (i) no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in the final notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **Prohibited, Regulated and Promoted Activities:-**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
	Regulated activities	
9.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
10.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and

		regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
12.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate companies	Regulated
14.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
15.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
16.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
17.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
18.	Use of plastic carry bags	Regulated under applicable laws.
19.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
20.	Erection of electric cables	Regulated under applicable laws.
21.	Recycling of bio degradable material.	Regulated under applicable laws.
22.	Installation of electric lines.	Regulated under applicable laws. Promote underground cabling.
23.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
24.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
25.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
26.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
27.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
28.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse

		impact on environment shall be permitted.
29.	Collection of non-timber forest products	Regulated under applicable laws.
30.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.
31.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 degree and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
32.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
33.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
34.	Community Reserve Nature	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
35.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
36.	Organic farming	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
39.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
41.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
42.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
43.	Skill development.	Shall be actively promoted.
44.	Environment awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government within three months of this Notification, constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the final notification, comprising of the following, namely:-

1.	District Collector	Chairman
2.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir for a period of one year.	Member
3.	One representatives of Non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of one year.	Member
4.	Regional Officer, Jammu and Kashmir State Pollution, Control Board	Member
5.	Representative of Housing and Urban Planning Department	Member
6.	Expert Ecology	Member
7.	Member of State Biodiversity Board	Member
8.	Representative of Agriculture Production Department	Member
9.	Concerned DFO Territorial	Member- Secretary

6. **Terms of reference:**

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of the final Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee is for three (3) years or till the Constitution of the new Committee by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the

Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector (s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of the final notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders; The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/203/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

A. Boundary description of ESZ of Jasrota Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Direction w.r.t boundaries of the sanctuary	Point	Distance in meters of ESZ from sanctuary boundary	Geo-Coordinates		Remarks
				Latitude	Longitude	
1.	North	A1	Max. Distance = 2022 mtrs	32°30'45" N	75°24'14.1" E	
		N1	Min. Distance= 700 mtrs	32°30'622" N	75°23'608" E	
2.	North-East	B1	Max. Distance=400 mtrs	32°9'52.1" N	75°25'7.8" E	
		C1	Min. Distance =00 mtrs	32°9'43.2" N	75°25'2.9" E	
3.	East	D1	Max. Distance=00 mtrs	32°28'46.3" N	75°24'50.1" E	The area is under permanent habitation since past many generations and inclusion said area in the Eco Sensitive Zone may hinder the routine agricultural and other allied activities thereby adversely affecting the livelihood means of the local people.
			Min. Distance =00 mtrs			
4.	South-East	E1	Min. Distance= 00 mtrs	32°27'55" N	75°24'34.2" E	
			Max. Distance =00 mtrs			
5.	South	F1	Max. Distance =00 mtrs	32°27'921" N	75°24'164" E	
		G1	Min. Distance=473 mtrs	32°27'48.6" N	75°24'04.6" E	
6.	South-West	H1	Min. Distance =377 mtrs	32°29'0.8" N	75°21'58.4" E	
		I1	Max Distance=1197 mts	32°29'06.4" N	75°21'36.4" E	

7.	West	J1	Max. Distance=1662 mtrs	32°29'793" N	75°21'792" E	
		K1	Min. Distance =1531 mtrs	32°30'099" N	75°22'069" E	
8.	North-West	L1	Max. Distance =1398 mtrs	32°0'38.3" N	75°22'34.2" E	
		M1	Min. Distance =608 mtrs	32°30'588" N	75°23'422" E	

ANNEXURE- II-A

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

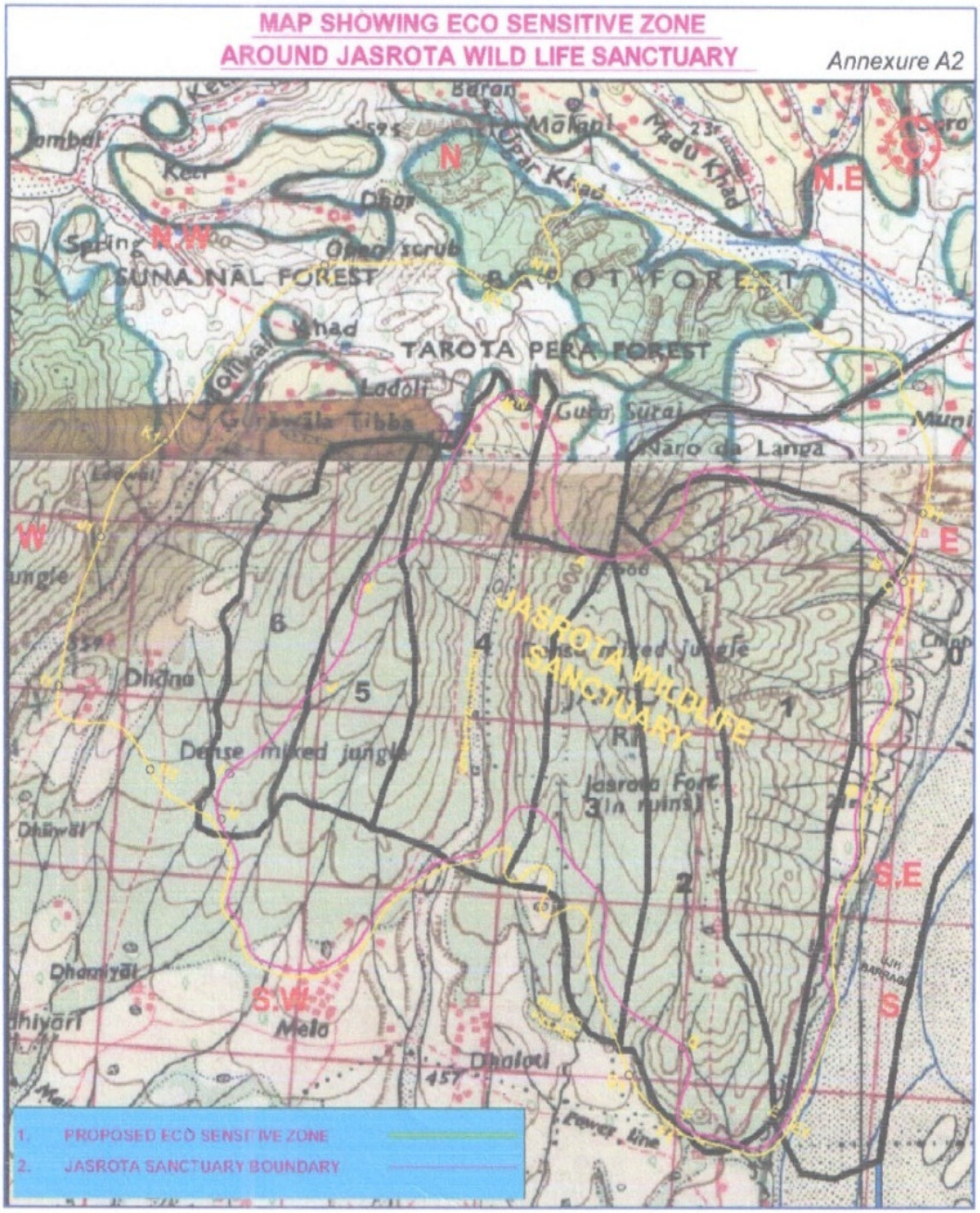

ANNEXURE-II-B

B. GOOGLE MAP OF THE JASROTA WILDLIFE SANCTUARY SHOWING ITS ECO_SENSITIVE ZONE

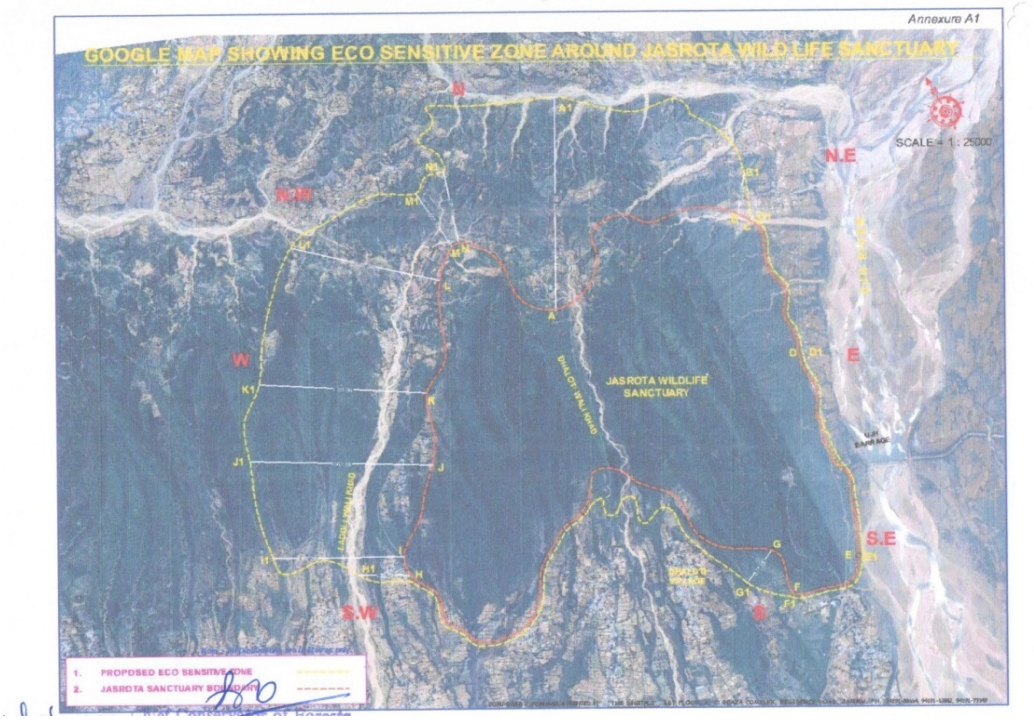

ANNEXURE-III-A

TABLE A: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF THE PROTECTED AREA SHOWN ON MAP

S.No.	Point	Direction	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
1.	A	North	32°29’48.3” N	75°23’48.5” E
2.	B	North-East	32°29’46.1” N	75°24’58” E
3.	C	North-East	32°29’42.6” N	75°25’00.7” E
4.	D	East	32°28’46.3” N	75°24’50.1” E
5.	E	South-East	32°27’55” N	75°24’34.2” E
6.	F	South	32°27’921” N	75°24’164” E
7.	G	South	32°27’59” N	75°24’12.3” E
8.	H	South-West	32°28’938” N	75°22’15.6” E
9.	I	South-West	32°29’016” N	75°22’281” E
10.	J	West	32°29’355” N	75°22’281” E
11.	K	West	32°29’678” N	75°22’87.9” E
12.	L	North-West	32°30’136” N	75°23’266” E
13.	M	North-West	32°30’588” N	75°23’21.6” E
14.	N	North	32°30’265” N	75°23’457” E

B. TABLE SHOWING GEO-COORDINATES OF ESZ OF JASROTA WLS

Sl. No.	Direction w.r. t boundaries of the sanctuary	Point	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	North	A1	32 ° 30'45"N	75°24'14.1"E
		N1	32°30'622"N	75° 23'608"E
2	North-East	B1	32° 9'52.1"N	75° 25'7.8"E
		C1	32° 9'43.2"N	75°25'2.9"E
4	East	D1	32°28'46.3"N	75°24'50.1"E
5	South-East	E1	32° 27'55"N	75°24'34.2"E
6	South	F1	32° 27'921"N	75°24'164"E
		G1	32°27'48.6"N	75°24'04.6"E
7	South -West	H1	32° 29'0.8"N	75°21'58.4"E
		I1	32°29'06.4"N	75°21'36.4"E
8	West	J1	32° 29'793"N	75° 21'792"E
		K1	32° 30'099"N	75° 22'069"E
9	North -West	L1	32° 0'38.3"N	75°22'34.2"E
		M1	32° 30'588"N	75° 23'422"E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES.

Sl. No.	Name of Village	Latitude	Longitude
1.	Danoh	32^0 29.377' N	75^0 22.511' E
2.	Ladoli	32^0 29.896' N	75^0 22.767' E
3.	Gurha Surja	32^0 29.809' N	75^0 23.813' E
4.	Moni	32^0 30.196' N	75^0 25.364' E

Annexure -V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.08 19:42:47 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.